राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम और अन्य

बनाम

टिल्ला राम

25 अगस्त 2004

(न्यायाधिगण अरिजीत पसायम और डी.एम धर्मधारी)

सेवा कानून- समाप्ति आदेश- विचारण न्यायालय द्वारा कानून की तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेष्ण और समाप्ति आदेश को बरकरार रखना- अपीलीय न्यायालय द्वारा समाप्ति आदेश को अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला मानता है और समाप्ति आदेश को रद्द करता है- उच्च न्यायालय द्वारा उसी का बनाए रखना- शुद्धता बरकरार- आयोजित: प्राथमिक अपीलीय न्यायालय ने मामले पर उचित परिप्रेक्षय में विचार नही किया- वह इस बात का संकेत नही देता है कि नियोक्ता द्वारा निर्भर किए गए निर्णयों ने कर्मचारी के मामले का समर्थन कैसे किया। इस तरह के अनुचित और स्पष्ट रूप से गलत निष्कर्षों का समर्थन कानून में नही किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नही किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को निचली अदालत के रूप में माना जो मामले के निस्तारण हेतु अत्यधिक अनुचित तरीका है इसलिए मामला उच्च न्यायालय को पुनः विचारणीय हेतु वापस भेजा जाता है।

उत्तरदाता-कर्मचारी को बतौर कंडक्टर के रूप में राजस्थान सडक नियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था। उसने कुछ दुराचार किया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि समाप्ति आदेश अवैध था। यह तर्क दिया गया था कि उसे स्थायी आधार नियुक्त किया गया लेकिन कोई विभागीय कार्यवाही या जांच नही कि गई और ''अंत में आओ और पहले जाओ'' के सिद्धान्त का भी पालन नही किया गया। विचारणीय न्यायलय ने मुकदमें को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्मचारी को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था इसलिए विभागीय कार्यवाही की कोई आवश्यकता नही थी। प्रत्यर्थी ने एक अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समाप्ति आदेश को अवैध और प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो का उल्लंघन करने वाला माना व विचारणीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया। अपीलार्थी निगम ने दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भी अपील को खारिज कर दिया। अतः यह पेश कि गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढा जैसे कि निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ जांचं प्राकृतिक न्यायिक कें सिद्धान्त के अनुसार नही थी और जांच करने की प्रक्रिया घोर उल्लंघनकारी थी व अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जांच

न्यायिक सिद्धांतो के विरूद्ध थी और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि गुण दोष के आधार पर दिया गया निर्णय तथ्यों पर आधारित है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निचली अदालत ने कानून के विस्तार से विश्लेषण कर सही निष्कर्ष पर पहुचे थे। प्रथमः अपीलीय न्यायालय ने मामले पर उचित परिप्रेक्षक में विचार नही किया। इसके कुछ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। जिसमें नगम द्वारा पेश कुछ न्यायिक दृष्टातों का उल्लेख किया और कर्मचारी के पक्ष में निर्णय किया लेकिन यह इंगित नही किया कि निगम द्वारा प्रस्तुत निर्णयों ने वादी-कर्मचारी के मामले का समर्थन कैसे किया। उन मामलों का अनुपात क्या था और वे किस प्रकार कर्मचारी के प्रकरण पर लागू थे का उल्लेख नही किया। इस तरह के अनुचित और स्पष्ट रूप से गलत निष्कर्षो का कानून में समर्थन नही किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नही किया। इसने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को निचली अदालत का निष्कर्ष माना जो निश्चित रूप से मामले से निपटने का एक बहुत ही अनुचित तरीका था। इसलिए,मामले को पुनः नियमानुसार विचारणीय करने हेतु उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। (795- सी.डी, 796 सी ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं0 4032/2001

राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल द्वितीय अपील सं0 499/1999 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश से।

ए.पी. धमीजा, एच.डी. थानवी, सादर सिंघानिया और सुशील के. जैन, अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति अजीत पासायत, द्वारा दिया गयाः राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) ने माननीय न्यायाधिपति, माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा निगम की द्वितीय अपील को खारिज किए जाने वाले निर्णय की वैधता पर अंकन किया।

संक्षेप में अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैः-

प्रत्यर्थी (इसके बाद 'कर्मचारी के रूप में संदर्भित) ने एक सिविल वाद समक्ष विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग और न्यायिक मजिस्ट्रेट III, जयपुर शहर, जयपुर इस घोषणा के लिए दायर किया कि निगम द्वारा पारित समाप्ति आदेश दिनांक 18.3.1986 अवैध है। उनके अनुसार उसे स्थायी कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और इस गलत धारणा के परिपेक्षय में उसकी सेवाए बर्खास्त कर दी गई कि उन्हे विभागीय स्तर पर आगे नही बढाया गया था व इसके खिलाफ और कोई

जांचं नही की गई थी और इसलिए बर्खास्त का आदेश अवैध व मनमाना था।

यह भी दलील दी गई कि उनके मामले में ''अंतिम आओ ओर पहले जाओ'' के सिद्धान्त का पालन नही किया गया था। निगम ने यह तर्क दिया कि कर्मचारी को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था व उसे स्थायी रूप से नियुक्त नही किया था। विभागीय कार्यवाही या जांच की कोई जरूरत नही थी क्योंकि वह दैनिक कार्य में लगा हुआ था व उसकी मजदूरी / सेवाए बंद कर दी गई थी। किसी भी सूरत में कोई कुक्षि नही जुडा हुआ था। अभिलेख पर लाई गई सामग्री पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कर्मचारी का दैनिक आधार पर नियुक्त किया गया था।

दैनिक मामले में विभागीय जांच का कोई सवाल ही नही था। कर्मचारी ने स्वयं की स्थायी नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए कोई नियुक्ति आदेश प्रस्तुत नही किया था। कोई जांच नही की गई थी और इसलिए यह सवाल विचार के लिए उत्पन्न नही हुआ कि, कि गई जांच उचित थी या नही। विचारण न्यायालय ने मुकदमे पर विचार करने के लिए क्षेत्राधिकार के प्रश्न का निस्तारण करना आवश्यक नही समझा। वाद को बर्खास्त कर दिया गया। कर्मचारी ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या पाँच जयपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होने निर्णय दिनांक 23.3.1999 से

विचारणिय न्यायालय के निष्कर्षो को उलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि बर्खास्त आदेश अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन था और कर्मचारी निगम की सेवा में रहने का हकदार था और व मौद्रिक और वित्तीय परिणामी लाभों का हकदार था।

निगम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की और जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

अपील के समर्थन में श्री सुशील कुमार जैन, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है उसके द्वारा उभिलिखित निष्कर्ष दिये गए जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विरूद्ध थे। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढा जैसे की विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी के खिलाफ की गई जांच प्राकृतिक न्यायिक सिद्धातों के अनुसार नही थी और जांच करने की प्रक्रिया घोर उल्लंघनकारी थी। उच्च न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जांच प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार नही थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों के उल्लेख बाद उच्च न्यायालय ने माना की गुण अवगुण पर दिया गया योग्य निर्णय तथ्यो पर आधारित था।

नोटिस की सेवा के बावजूद कोई उत्तरदाता की ओर से पेश नही हुआ।

यह माना है कि निचली अदालत ने कानून की तथ्यात्मक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया था तथा सही निष्कर्ष पर आए कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का सही परिपेक्ष में विचारण नही किया गया। इसके कुछ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असम्थनीय है। उदाहरण के रूप में मूल प्रश्न पर निगम द्वारा कि गई कार्यवाही की वैद्यता के बारे में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

> '' 10. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी एक दैनिक वैतन भोगी कर्मचारी था और एक अस्थायी पद पर था व उसे बर्खास्त करने से पूर्व कोई विभागीय जांच करवाने की आवश्यकता नही है। ''

विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांक पेश किए:

1. (1991) एससीसी. 591 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला।

2. एआईआर (1994) सर्वोच्च न्यायालय 2411 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेम लता।

3. (1996)5 एससीसी. 889 के॰वी॰ कृष्णमनी बनाम ललित काला अकादमी।

4. (1996) एससीसी. 560 सत्य नारायण बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य।

5. आरएलआर. (1990) 2 पेज 268 शक्ति कान्त पाठक बनाम सर्वोच्च न्यायालय रेपोर्ट्स (2004) supp. 3 एससीआर.।

पश्चिमी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड।

(1994) 2 डब्लूआईसी. राज. 25 कंवर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए की प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष निगम उत्तरदाता था। निगम द्वारा कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद वह अनुचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुचा कि निर्णयों व डीक्री अपील करने के आधीन है और वादी की अपील उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांको के आधार पर स्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(उपर उल्लेखित निर्णयों का संदर्भ दिया गया था।)

दुर्भाग्य से, यह संकेत नही दिया गया है कि कैसे निगम द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वादी -कर्मचारी मामले का समर्थन करते है। उन मामलों में अनुपात क्या था और वे कर्मचारी के मामले में कैसे लागू और सहायक थे, इसका भी संकेत नही दिया गया है। इस तरह के अनुचित और स्पष्ट रूप

से गलत निष्कर्षो का कानून में समर्थन नही किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नही किया। वह विचारणीय न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष के मध्य अस्पष्ट रहा। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षो को विचारण न्यायालय का निष्कर्ष माना जाता था। यह निश्चित रूप से मामले से निपटने का एक बहुत ही अनुचित तरीका था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मामले को उच्च न्यायालय में पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद कानून के अनुसार अपील पर निर्णय लेने के लिए भेजते हैं।

व्यय के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तो में अपील की अनुमति दी गई।

अपील अनुमत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी योगेश भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।